न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 05/2022 (2022/21)

प्रार्थी :–

थानाधिकारी पुलिस थाना, औद्योगिक क्षेत्र बासनी जिला पश्चिम, जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

मोतीलाल शाह पुत्र स्व0 मोहन शाह, जाति हिन्दू तेली, निवासी डर्बी कोलोनी, बासनी, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत।

उपस्थिति :–

अधिवक्ता श्री एम0 एल0 मेघवाल (अप्रार्थी)

–: आदेश :– दिनांक :– 12.04.2023

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के पत्रांक/कोर्ट/डीएम /2021/38 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2020 को बासनी हल्का में स्थित डर्बी कोलोनी में मकान नं0 51 में मोतीलाल शाह पुत्र स्व0 मोहन शाह के मकान की तलाशी में मकान के अन्दर कुल 4 बड़ी घरेलू गैस टंकिया (2 भारत व 2 एचपी कम्पनी की) तथा 1 छोटी गैस टंकी मिली। अप्रार्थी घरेलू गैस टंकी से नोजल पाईप/रिफिल से छोटी गैस टंकी में गैस भरता पाया गया। अप्रार्थी से गैस भरने के संबंध में अनुज्ञा–पत्र बाबत् पूछा गया तो अप्रार्थी ने किसी प्रकार का अनुज्ञा–पत्र नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य गैर कानूनी होने के कारण उक्त गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त किया जाकर मालखाना में जमा करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:10 IST
Reason: SelfAttested

उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से उपरोक्त गैस सिलेण्डर मय गैस व नोजल रिफिल व लोहे के पाना के अंतरिम निस्तारण करने की प्रार्थना की।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एम0 एल0 मेघवाल ने वकालतनामा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी ने पूर्णतया गलत एवं मिथ्या आधारों पर उपरोक्त प्रकरण बनाया है। अप्रार्थी के घर से अवैध रूप से जो घरेलू गैस सिलेण्डर बरामद किये गये है वो अप्रार्थी के स्वयं के घरेलू सिलेण्डर है। उक्त गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये है। अप्रार्थी के विरूद्ध की गई मिथ्या कार्यवाही को अपास्त कर जब्त सिलेण्डरों को को रिलीज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व गैस भरने की नोजल अप्रार्थी के घर से प्राप्त हुई। अप्रार्थी के यहां से गैस भरने की नोजल प्राप्त हुई जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए व 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर तथा अन्य सामान जैसे नोजल पाईप/रिफिल व लोहे के पाने को राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:10 IST
Reason: SelfAttested

थानाधिकारी पुलिस थाना, औद्योगिक क्षेत्र बासनी जिला पश्चिम, जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों व अन्य सामान को जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को सुपुर्द

करें। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त गैस सिलेण्डरों को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जाये। प्रकरण में जब्तसुदा निलामी योग्य सामान को निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की एक–एक प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना, औद्योगिक क्षेत्र बासनी तथा जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश की पालना रिपार्ट एक माह में प्रस्तुत करें।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:10 IST
Reason: SelfAttested